66

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं. निग/2681/III/15 /2015 पुनरीक्षण

श्री मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 19-8-15 को प्रस्तुत
ह0 19-8-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

W3
मुकेश भार्गव
19-8-15 एडवोकेट
ग्वालियर

1. राजेश पुत्र स्व. रामदास पटेल
   निवासी ग्राम दुलहरा तह. व जिला अनूपपुर
2. सुकेश उर्फ सरला पुत्री स्व. रामदास पटेल पत्नी देवमन पटेल निवासी ग्राम पिपरिया तह. अनूपपुर
3. ऊषा पटेल पुत्री स्व. रामदास पटेल पत्नी बुद्धसेन
   निवासी ग्राम पोडी तह. व जिला अनूपपुर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. जामवती बेवा रमेश पटेल
   निवासी ग्राम पिपरिया तह. व जिला अनूपपुर
2. रामलली पत्नी राजेश कुमार पटेल
   निवासी ग्राम दुलहरा तह. व जिला अनूपपुर

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा रा.प्र.कं. W3 130 /अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2015 एवं 15.07.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2681-तीन/2015 जिला अनूपपुर राजेश विरूद्ध जामवती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 130/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 22-01-2015 एवं 15-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	
06/02/19		

(3)

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

06/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य